बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

बैंक ऑफ़ इंडिया प्रीपेड गिफ्ट कार्ड के लिए
निबंधन एवं शर्तें

ये निबंधन एवं शर्तें बैंक ऑफ़ इंडिया (बीओआई) द्वारा प्रदान की गई प्रीपेड गिफ्ट कार्ड सुविधाओं के प्रावधानों पर लागू होती हैं और उन्हें विनियमित करती हैं, और इसका पंजीकृत कार्यालय पीएनबी-बीओआई टॉवर, जी-ब्लॉक, सी-29, 5वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 में है।

1. परिभाषाएं

- "बैंक" का तात्पर्य बैंक ऑफ़ इंडिया और उसके संबद्ध, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती से है।
- "आवेदक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्ड के लिए आवेदन किया है।
- "कार्ड" का तात्पर्य बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किया गया प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है।
- "कार्डधारक" का तात्पर्य वैध कार्डधारक व्यक्ति है।
- "उपलब्ध सीमा" का अर्थ कार्ड पर उपयोग के लिए किसी निश्चित समय पर उपलब्ध अधिकतम राशि है जो कार्ड में जमा राशि का योग है जिसमें से (क) संव्यवहार के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि, तथा (ख) बैंक द्वारा कार्ड पर लगाए गए शुल्क, लागत और व्यय को घटाया जाता है।
- "प्रभार" का तात्पर्य इन निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत कार्ड पर लगाई गई सभी राशियों से है, जिसमें कार्ड या कार्ड नंबर के उपयोग से वस्तुओं, सेवाओं की खरीद, प्रवेश शुल्क, सेवा प्रभार, वित्त प्रभार, पेट्रोल और रेलवे कमीशन, कार्ड प्रतिस्थापन प्रभार, खाता रखरखाव शुल्क, कार्ड बंद करने का शुल्क, सेवा कर और अन्य कर आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- "प्रभार पर्ची" का अर्थ यह है और इसमें कागजी रिकार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड जैसे बिक्री पर्चियां, टर्मिनल रसीदें और प्रभारों का रिकार्ड शामिल हैं, जो कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करके किसी व्यापारी से वस्तु या सेवाओं की खरीद का प्रमाण देता है।
- वैयक्तिक पहचान संख्या (पिन) एक चार अंकों की गोपनीय संख्या है जो बैंक द्वारा कार्ड जारी करते समय कार्डधारक को प्रदान की जाती है। इसका उपयोग संव्यवहार के लिए पीओएस टर्मिनल पर ग्राहक की पहचान के लिए किया जाता है।
- पीओएस टर्मिनल का अर्थ है बिक्री केंद्र इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, जो कार्ड संव्यवहार को संसाधित करने में सक्षम हो और जहां, अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक खरीदारी करने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सके।
- "व्यापारिक प्रतिष्ठान" का तात्पर्य भारत में स्थित किसी भी कंपनी, प्रतिष्ठान, फर्म या व्यक्ति से है, जिसे वीज़ा व्यापारी के रूप में नामित किया गया है और/या जिसके साथ कार्डधारक के लिए कार्ड के उपयोग द्वारा वस्तु और सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था है और इसमें कार्ड के सामने वाले भाग पर दिखाई देने वाला वीज़ा प्रतीक प्रदर्शित करने वाला कोई भी प्रतिष्ठान शामिल है।
- "व्यक्ति" का अर्थ एक व्यक्ति, निगम, फर्म, कंपनी, संस्था, या अन्य प्राकृत या कानूनी व्यक्ति है।
- "प्रधान कार्डधारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे और जिसके अनुरोध पर बैंक द्वारा कार्ड जारी किया जाता है।

2. गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए केवाईसी / एएमएल / सीएफटी प्रावधान

- किसी भी गिफ्ट कार्ड लिखत का अधिकतम मूल्य (जहां अंतरित राशि सहित विशिष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं) 10,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।
- गिफ्ट कार्ड भुगतान लिखत निम्नानुसार जारी किए जाएंगे:-
  - I) 1000/- रुपए तक का गिफ्ट कार्ड ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किसी भी पहचान दस्तावेज के आधार पर जारी किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में बैंक द्वारा उसी कार्डधारक को एक से अधिक गिफ्ट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
  - ii) धन शोधन निवारण अधिनियम के नियम 2(घ) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़' को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करके 5000/- रुपए तक का गिफ्ट कार्ड जारी किया जा सकता है। हम नकद आहरण की अनुमति नहीं देंगे।
- 5000/- रुपए से अधिक मूल्य के गिफ्ट कार्ड हमारी शाखा द्वारा समय-समय पर जारी आरबीआई की अपेक्षाओं का पालन करते हुए जारी किए जाएंगे।
- बैंक इन गिफ्ट कार्डों का उपयोग करके किए गए सभी संव्यवहार का एक लॉग बनाए रखेगा।
  - III) वैयक्तिक पहचान संख्या (पिन): कार्डधारक को कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु बैंक द्वारा उन्हें एक वैयक्तिक पहचान संख्या (पिन) जारी की जाएगी। कार्डधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसे पिन एक मुहरबंद मेलर से प्राप्त हो। किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक को अपना पिन किसी को भी नहीं बताना चाहिए, जिसमें संयुक्त खाताधारक और बैंक शामिल हैं। कार्डधारक अपने पिन के प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें कार्ड का कोई भी अनधिकृत उपयोग शामिल है। कार्ड और पिन के माध्यम से दिए गए कोई भी अनुदेश, चाहे संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से, कार्डधारक द्वारा दिए गए अनुदेश माने जाएंगे, और बैंक यह मानने का हकदार होगा कि वे अनुदेश कार्डधारक द्वारा दिए गए हैं।

3. कार्ड का उपयोग

- यह कार्ड केवल भारत में ही वैध होगा।
- कार्ड के मुख पृष्ठ पर अंकित वर्ष के महीने के अंतिम दिन तक ही यह कार्ड वैध है।
- इस कार्ड का उपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन ई-कॉमर्स व्यापारियों द्वारा मालों/सेवाओं की खरीद के लिए किया जाएगा।
- इस कार्ड का उपयोग एटीएम में नहीं किया जा सकता।
- बैंक कार्डधारक या आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सीधे उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा और कार्ड या संव्यवहार के संबंध में बैंक को सभी संप्रेषण केवल आवेदक द्वारा ही किए जाने चाहिए।
- कार्ड का उपयोग उस समय उपलब्ध राशि तक के संव्यवहार के लिए ही किया जाए।
- कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा ही किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- किसी संव्यवहार में किसी राशि का उपयोग होने पर, उस राशि को उस समय की उपलब्ध राशि से घटा दिया जाएगा, जिससे संव्यवहार के बाद नई उपलब्ध राशि प्राप्त हो जाएगी।

4. व्यापार संव्यवहार

- व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग कार्ड पर उपलब्ध सीमा तक सीमित रहेगा।
- किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से कार्डधारक के भुगतान हस्ताक्षर हेतु बैंक

द्वारा प्राप्त कोई भी प्रभार पर्ची या अन्य भुगतान अनुरोध इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उस प्रभार पर्ची या अन्य अनुरोध पर दर्ज राशि कार्डधारक द्वारा कार्ड के उपयोग से उचित रूप से व्यय की गई थी। यदि यह पाया जाता है कि कार्डधारक द्वारा भुगतान के लिए निर्धारित किसी भी खरीदारी को कार्डधारक के खाते से डेबिट नहीं किया गया है, तो बैंक को उचित समझी जाने वाली दरों पर ब्याज सहित कोई भी राशि वसूलने का अधिकार होगा।

- कार्डधारक को सूचित किया जाता है कि वह संव्यवहार का रिकार्ड अपने पास रखें।
- यदि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्ड स्वीकार करने से इनकार करता है या कार्ड पर कोई अधिभार लगाता है, तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, कार्डधारक को इस शिकायत की सूचना तुरंत बैंक के मुंबई स्थित डिजिटल बैंकिंग विभाग को देनी चाहिए। कार्ड पर लगाए गए वस्तुओं या सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी या दोष के लिए बैंक ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा कार्डधारक को सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ करना चाहिए और ऐसा न करने पर कार्डधारक बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा। किसी दावे या विवाद की मौजूदगी से कार्डधारक को सभी प्रभारों का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी और कार्डधारक किसी भी विवाद या दावे के बावजूद ऐसे प्रभारों का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत है। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कार्डधारक द्वारा किया गया कोई भी दावा बैंक पर प्रतिदावे या मुआवजे का विषय नहीं होगा।
- यदि किसी भी कारण से कार्ड पर संव्यवहार के प्राधिकार हेतु व्यापारी/वीज़ा प्रणाली बैंक प्रणाली से संपर्क करने में असमर्थ हो, तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की विफलता के परिणामस्वरूप व्यापारी कार्ड को भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हो सकता है, भले ही कार्ड में पर्याप्त राशि उपलब्ध हो।
- जिन संव्यवहारों में कार्ड का उपयोग किया गया था, उनमें वस्तु/सेवाओं का कोई भी आदान-प्रदान व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित 'रिडक्शन सेल' चला रहे हैं तो वे कार्ड स्वीकार नहीं करेंगे।
- कार्ड का उपयोग किसी भी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कानून द्वारा निषिद्ध वस्तुओं या सेवाओं की खरीद भी शामिल है।
- कुछ संव्यवहारों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रभार की राशि के अतिरिक्त सेवा प्रभार भी लगाया जा सकता है, जिसका भुगतान कार्डधारक को करना होगा।
- वस्तुओं/सेवाओं की खरीदारी और निरसन, दो अलग-अलग संव्यवहार हैं। कार्डधारक को खरीदारी के लिए भुगतान करना होगा। निरसन के कारण होने वाली धनवापसी, व्यापारी प्रतिष्ठान के पास रहेगी और व्यापारी प्रतिष्ठान से प्राप्त होने पर ही कार्ड में जमा की जाएगी (निरसन प्रभार घटाकर)। कार्डधारक को कोई नकद धनवापसी नहीं दी जाएगी।

5. कार्ड खो जाना

- कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करें कि कार्ड का दुरुपयोग बचाने के लिए सभी कदम उठाएं जाएं।
- कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, मुख्य कार्डधारक को तुरंत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करानी होगी और बैंक के डिजिटल बैंकिंग विभाग, मुंबई को टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स और टेलीग्राम आदि जैसे संचार के सबसे तेज़ माध्यमों से नीचे दिए गए पते पर सूचित करना होगा। पुलिस में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ सात दिन के भीतर लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी। प्रतिस्थापन कार्ड आमतौर पर बैंक के विवेक पर जारी किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिस्थापन प्रभार बैंक द्वारा तय किया जाएगा।
- खोए हुए कार्ड पर लगने वाले सभी प्रभारों के लिए कार्डधारक पूरी तरह उत्तरदायी होगा। कार्डधारक, कार्ड के नुकसान/चोरी/क्षति की सूचना देने तक कार्ड से किए गए सभी संव्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा।
- जिन कार्डों के खो जाने/चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की सूचना बैंक को दी जाती है, उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, भले ही बाद में वे बिना क्षतिग्रस्त स्थिति में मिल जाएं या बताए जाएं।
- यदि कार्ड के खोने/चोरी होने की सूचना बैंक को लिखित रूप में नहीं दी जाती है, तो कार्डधारक खोए/चोरी हुए कार्ड पर किए गए सभी प्रभारों/लेनदेनों के लिए उत्तरदायी होगा और कार्डधारक इसके द्वारा कार्ड के खोने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता (सिविल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के लिए बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करता है। यदि कार्ड के खोने या चोरी होने की सूचना मिलने के बाद, लेकिन कार्डधारक की लिखित पुष्टि और पुलिस शिकायत/एफआईआर प्राप्त होने से पहले, बैंक को संव्यवहार की सूचना प्राप्त होती है, तो कार्डधारक कार्ड से डेबिट की गई सभी राशियों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा। यदि कार्डधारक बैंक को संतोषजनक रूप से यह साबित कर देता है कि कार्ड सुरक्षित था, कार्डधारक द्वारा खोने/चोरी होने की सूचना तुरंत बैंक को लिखित रूप में दी गई थी और सामान्यतः कार्डधारक ने सद्भावनापूर्वक, उचित सावधानी और तत्परता से कार्य किया था, तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने विवेकानुसार, बैंक को नुकसान की सूचना देने के समय से कार्डधारक की देयता को रु . 1000/- तक सीमित कर सकता है।

6. अप्रयुक्त कार्ड राशि

- यदि कार्ड की समाप्ति के समय उपलब्ध राशि रु. 100 (केवल एक सौ रुपए) या उससे अधिक है, तो बैंक के प्रभारों की कटौती के बाद कार्ड खरीदने वाले कार्डधारक को राशि वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी वापसी के लिए दावा कार्ड की समाप्ति के 3 (तीन) महीने के भीतर बैंक के पास किया जाए।
- कार्ड की समाप्ति के समय रु.100/- (केवल एक सौ रुपए) तक उपलब्ध राशि बैंक को अंतरित होगी।

7. पुनः लोड सुविधा

- बैंक गिफ्ट कार्ड पर पुनः लोड सुविधा प्रदान नहीं करता है।

8. शेष राशि पूछताछ

- उपलब्ध/शेष राशि और कार्ड की स्थिति का विवरण जानने के लिए, कार्डधारक नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं: कृपया https://www.bankofindia.bank.in/gift-prepaid-card-enquiry/ पर जाएं और कार्ड के पीछे मुद्रित 12 अंकों की संदर्भ संख्या को दर्ज करें।

9. निबंधन एवं शर्तों में संशोधन

- बैंक को अपने पूर्ण विवेकानुसार और बिना कोई कारण बताए इन नियमों को जोड़ने/बदलने/संशोधित करने का अधिकार है और यह कार्डधारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

बैंक ऑफ़ इंडिया,
पीएनबी-बीओआई टावर, जी-ब्लॉक,
सी-29, 5वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा(पूर्व), मुंबई 400051